विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उत्पीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

जाति जनगणना से इतना क्या डरना

भारत के लिए जाति कोई नई बात नहीं।भारतीय समाज जाति विहीन समाज कभी नहीं रहा। पहले इसे वर्ण व्यवस्था के रूप में जाना गया और कालांतर में यह जन्म से जुड गई। जो कुम्हार, खाती, नाई के घर पैदा हुआ सो ता जिंदगी कुम्हार, खाती, नाई चाहे उसे कुम्हारी, खाती, नाईगिरी का काम उसकी रुचि का हो या न हो, आए या न आए। जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ सो ब्राह्मण चाहे उसे शास्त्रों का कक्का भी न आए। सैद्धांतिक तौर पर यह पढाया जाता रहा है कि कर्म से वर्ण परिवर्तन सम्भव था किंतु हमारे देश में, शायद वास्तविकता में यह कभी सम्भव नहीं था।

ब्रिटिश सरकार नें विभिन्न कारणों से और मुख्यत: भारतीय समाज के गहरे बिखराव-असमानता-जाती के आधार पर भेदभाव-छुआछूत आदि को उभार कर समाज को ओर विभाजित करने के लिए जाती जनगणना को हथियार बनाया। बहुत से शासक, समाज को विभिन्न मुद्दों पर बंट कर राज करते रहे है और अब भी कर रहे हैं।

ब्रिटिशर्स द्वारा प्रथम बार 1881 में जनगणना करवाई। मुख्य मुख्य जातियों के आंकड़े भी इकट्ठे करने का प्रयास किया। 1931 की जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। कुल जनसंख्या लगभग 27 करोड़ थी। इस जनसंख्या में से, काका कालेलकर आयोग द्वारा चिन्हित जातियों की जनसंख्या, अनुमानत:, 52% बनती थी। तत्समय भी, कुछ संगठनों और राजनीतिक दलों ने, दबे स्वरों में जातीय जनगणना का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे जातिगत विभाजन बढ़ेगा और सामाजिक तनाव पैदा होगा।

जातीय जनगणना के मुद्दे पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के विचार और रुख समय-समय पर बदलते रहे हैं। कुछ लोगों ने जातीय जनगणना का समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया। यह मुद्दा अभी भी बहस का विषय है।

जातीय जनगणना के संबंध में कुछ प्रमुख व्यक्तियों, संगठनों के विचार इस प्रकार रहे है:–

महात्मा गांधी जाति प्रथा के उन्मूलन और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। उन्होंने जाति प्रथा को एक सामाजिक बुराई माना और इसके खिलाफ काम किया। वे जातीय जनगणना के पक्ष में थे या नहीं यह स्पष्ट नही। जवाहरलाल नेहरू ने भी जाति प्रथा के उन्मूलन और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उन्होंने जाति प्रथा को एक सामाजिक बाधा माना। इसके खिलाफ काम किया।

नेहरू जी ने 1951 की जनगणना में एण,एऊ के अतिरिक्त अन्य जातियों के आंकड़े इकट्ठा नहीं करने के निर्णय का समर्थन किया। शायद सरकार को आशा रही होगी कि जातिगत विभाजन धीरे-धीरे स्वत: कम होगा, अधिक समतापूर्ण समाज बन जाएगा किन्तु यह आशा फलीभूत नही हुई।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए काम किया। उन्होंने जाति प्रथा को एक बड़ी सामाजिक बुराई माना। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों की मांग की। उन्होंने जातीय जनगणना को दलित समुदाय की स्थिति को समझने और उनके लिए नीतियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन माना। इन तीनों नेताओं के विचारों में समानता थी कि वे जाति प्रथा को एक बड़ी सामाजिक बुराई मानते थे और उसके उन्मूलन और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के पक्षधर थे।

हिंदुत्व व हिन्दू वादी कुछ लोग व संगठन जातीय जनगणना का लगातार विरोध करते रहे है। उनके अनुसार जातीय जनगणना से जातिगत विभाजन बढ़ेगा, सामाजिक ताना बाना टूटेगा, तनाव पैदा होगा। सामाजिक समरसता एकता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए जातीय जनगणना को अनावश्यक मानते थे और अब भी मानते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रुख काफी समय ढुलमिल व अस्पष्ट रहा किन्तु कुछ समय से कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर अपने रुख को स्पष्ट किया है। अब, वह इसके पक्ष में है। समाजिक न्याय की वकालत करने वाली, समाजवादी, साम्यवादी विचारधाराओं से जुड़ी पार्टियां जातीय जनगणना का समर्थन करती रही हैं और अब भी करती है। बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में जातीय आंकड़े (सर्वे) इक्कठे करने का राज्य स्तर पर प्रयास किया गया। सँविधान के अनुसार जनगणना हो या जातीय जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार का।

आजाद भारत में, पिछड़ी जातियों की दयनीय शैक्षणिक व सामाजिक को ध्यान में रखते हुए, उनके हितार्थ सुझाव देने के लिए, 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर आयोग का गठन किया। इसकी रिपोर्ट 1955 में आई थी। इस आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। प्रसिद्ध गांधीवादी काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग नें पिछड़ी जातियों की पहचान कर उनकी सूची बनाई। इसमें कुछ जातियों को अति पिछड़ा भी माना। इस के सदस्यों में जाति को पिछड़ेपन से जोड़ने या नौकरियों में इनके लिए स्थान सुनिश्चित करने के मुद्दों पर एक राय नहीं थी। प्रश्न था की क्या केवल जाति से ही पिछड़ापन तय किया जाए? जाति को बैकवार्डनेस का मानदंड मानने के पक्ष में भी कुछ सदस्य थे।

आयोग की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार का मोटा-मोटा रुख यह रहा कि पिछड़ी जातियों को चिन्हित करने का कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड तय नही किया गया। इसलिए इस आयोग की रिपोर्ट कि अधिकांश सिफारिशें सरकारी फाइलों में दफन रही। आयोग ने पिछड़ी जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति के लिए कुछ सिफारिशें भी दीं।

समय-समय पर, विभिन्न सरकारों यथा बिहार की कर्पूरी ठाकुर व यूपी की राम नरेश यादव सरकार ने नौकरियों में आरक्षण देने की पहल भी की। कालेलकर आयोग के प्रतिवेदन को ध्यान में रख कर ही जनता पार्टी सरकार नें मंडल आयोग का गठन किया। देर से ही सही, मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियावयन की भी धीमी कार्यवाही शुरू हुई। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार है, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ओबीसी के लिए नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान को सार रूप में 1990 तक लागू नही किया गया।

हिंदुत्व व हिन्दू वादी कुछ लोग व संगठन जातीय जनगणना का लगातार विरोध करते रहे है। उनके अनुसार जातीय जनगणना से जातिगत विभाजन बढ़ेगा, सामाजिक ताना बाना टूटेगा, तनाव पैदा होगा। सामाजिक समरसता एकता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए जातीय जनगणना को अनावश्यक मानते थे और अब भी मानते हैं।

वर्ष 2011 में केंद्र की ळ्ईं सरकार नें सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से कमजोर जातियों (SEC) का सर्वे जरूर करवाया किन्तु आंकड़े सार्वजनिक कर पाती उस से पहले ही UPA सरकार 2014 में सत्ता से बाहर हो गई। 2014 के बाद से लगातार सत्ता में रहने वाली वर्तमानं सरकार नें, विभिन्न राजनीतिक व मिथ्या सैद्धान्तिक बहानों के आधार पर इन्हें सार्वजनिक नहीं किया।

1980-90 तक आरक्षण की स्थिति? आजादी के समय ध्ँ की आबादी मुख्य रूप से गांवों में रहती थी। भारत की स्वतंत्रता के समय गांवों में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी यह सर्वविदित है। 1980-85 से पहले सरकारी नौकरियों में OBC का प्रतिनिधित्व नगण्य था। जो था वह भी अधिकांशत: चपरासी, लिपिक, अध्यापक, समकक्ष अन्य श्रेणियों तक ही सीमित था। बड़े पदों पर तो केवल गिने-चुने आर्थिक रूप से सक्षम घरों के इक्के-दुक्के लोग ही आ पाते थे। 1990 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्वत: सिद्ध है। इसका दूसरा पहलू यह है कि 1985-90 से पूर्व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ओबीसी के युवक बड़े पदों के लिए उपयुक्त योग्यता ही नही पा सके थे। लगभग 65-70% ऊंचे पदों वाली नौकरियों पर सवर्ण वर्ग के लोगों का ही बोलबाला था।

1990 में मंडल सिफारिशों को लागू करने की मांग जोरों से उठने लगी। नौकरियीं में आरक्षण के कारण सवर्ण वर्गों के लोगों को नौकरियों में अपना वर्चस्व समाप्त होते दिखा तो कुछ राजनीतिक दलों, संगठनों नें उनके इस डर को हवा दी और ध्ँ आरक्षण के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा कर दिया जो कालांतर में हिंसक भी हुआ।

अब देर से ही सही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नें आगामी जनगणना में जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया है। कुछ अनुदारवादी स्वघोषित हिन्दू संगठनों नें भी लगभग 180 डिग्री की पलटी मारकर, जातीय जनगणना के फासले के प्रति सहमति सी प्रगट की है यधपि साथ में यह भी कहा कि इसके आंकड़ों को सार्वजनिक नही किया जाए। ऐसे निर्णयों में उपयोग नही हो जिनसे समाज की समरसता खत्म हो। उनका उपयोग केवल नीतिगत निर्णयों में ही हो।

इस प्रकार के 180 डिग्री वाले उलटफेर से पहले भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह, स्व.गोपीनाथ मुंडे जैसे कुछ बड़े नेताओं को छोड़ कर अधिकतर नेता जातीय जनगणना का पानी पी-पी कर विरोध करते थे। अब ऐसे अधिकतर नेता समर्थन करने की होड़ में लगए है। खैर पुरानी बात है न, बंदरों को तो, मालिक लोग जैसा नाच सिखाएंगे, वैसे नाच लेंगे।

लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर कुछ नए प्रश्न भी उभरे है। उनके उत्तर क्या होंगे, उनसे ही पता चलेगा कि इस फैसले के पीछे असली मकसद क्या है? क्या यह केवल और केवल वोटर्स को अपनी ओर लुभाने के लिए ही है ? क्या जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, पिछड़े वर्गों के लोगों की समाजक, शैक्षणिक व मालिहालत सुधारने के लिए कुछ ठोस निर्णय, योजनाएं बनेंगी और लागू होंगी?

जनगणना अप्रेल 2026 से प्रारम्भ होगी। उस से पहले होंगे बिहार विधान सभा के चुनाव। एक परिदृश्य की कल्पना करो कि बिहार में भाजपा को सरकार बनाने लाइक बहुमत नहीं मिलता। भाजपा के वोट बैंक में उसके पारम्परिक वोट बैंक के अतिरिक्त OBC व OBC में बहुत पिछड़े वर्ग के वोट बड़ी संख्या में नही जुड़ते है तो भी, क्या जातियों की गणना कराएगी, केंद्र सरकार?

एक अन्य बड़ा प्रश्न है, जातियों की गणना करने से सम्बंधित प्रपत्र कैसा होगा, क्या-क्या सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी? अभी तो किसी कोने से आवाज निकल रही है, सुझाव आ रहा है कि कोई अलग प्रपत्र की आवश्यकता नही। वर्तमानं प्रपत्र पर्याप्त है, उसी में एक कालम जाती का भी हो जाएगा या SC/ST वाले कलम में /OBC ओर जोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा किया जाएगा तो फिर इस गणना का संख्या जानने के अतिरिक्त कोई उपयोगिता नही रहेगी।

जाती जनगणना के साथ साथ सम्बंधित व्यक्तियों की शैक्षणिक, वितीय स्थितियों यथा घर, वाहन, नौकरी, व्यापार या स्वरोजगार या नियमित नोकरी या दिहाड़ी वर्कर, औसत मासिक रोजगार के दिन, वेतन या आमदनी, बैंक से लेनदेन, साहूकार या बैंक से कर्ज, स्वयम की संचित पूंजी, कृषि या अन्य इसी प्रकार की भूमि की जानकारिया एकत्रित करने से ही इस बड़ी एक्सरसाइज का कोई उपयोग हो सकेगा। इस प्रकार की जानकारियों के अध्ययन, विश्लेषण के उपरांत ही सम्बंधित वर्गों के लिए उनके लिए हितकारी निर्णय लिए जा सकेंगे।

लोगों के मन में प्रश्न तो यह भी है कि क्या जातियों के अंदर उपजातियों की भी गणना की जाएगी और अगर ऐसा किया जाएगा तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या होगा?? समाजों को जातियों के बजाय उपजातियों में ओर विभाजित कर उनकी राजनीतिक हैसियत, उपयोगिता को कम से कमतर करने के लिए?? यह भी ध्यान रखना होगा कि उपजातियां तथाकथित सवर्ण जातियों में भी हैं।

एक ओर बड़ा प्रश्न है---क्या धार्मिक समूहों यथा मुसलमान, ईसाई, सिख आदि में भी जाती-उपजाती पूछी जाएगी? इस्लाम, ईसाई आदि में तो सैद्धांतिक आधार पर तो जाती प्रथा मानी नही जाती, तो फिर इसका उपयोग क्या होगा? क्या इससे इन धर्मों में पिछड़ों, अति पिछड़ों की पहचान कर उनके लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में दाखिले आदि में इन आंकड़ों का उपयोग होगा? क्या यह संविधान सम्मत होगा या फिर इनके लिए संविधान में संसोधन होगा, जिसका वर्तमानं सरकार वाला दल पुरजोर विरोध करता है??

एक ओर बड़ा प्रश्न है कि क्या जाती जनगणना के पश्चात, इसके आंकड़ों के आधार पर, OBC वर्ग के लिये सरकारी नौकरियों की उपलब्धता में कोई परिवर्तन किया जाएगा? क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई आरक्षण की 50% की सीमा को बदल कर पिछड़ों की जनसँख्यानुसार नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों दाखिलों की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का साहस सरकार करेगी?? वैसे 50% आरक्षण सीमा सार रूप से, EWS के लिए 10% आरक्षण के बाद समाप्त सी ही तो है। हाँ, EWS आरक्षण के बाद सवर्ण वर्ग के लिए स्वत: 60% का आरक्षण हो गया क्योंकि वर्ग में शामिल नही है।

क्या जातियों की जनगणना से सम्बंधित प्रपत्र सार्वजनिक होगा? क्या इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा होगी??

और अंत में क्या सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार में जाती/वर्ग आधारित आरक्षण लागू करेगी, जैसी कुछ राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों की मांग है???

–अतिथि सम्पादक,
महावीर सिंह,
आई.ए.एस. (से.नि.)

सरकार के लिए राजस्व प्राथमिकता है या लोगों का स्वास्थ्य?

अशोक कुमार

हेल्थ ईज़ वेल्थ का हिन्दी में मतलब 'स्वास्थ्य ही धन है' होता है जिसे 'नेक तंदुरुस्ती लाख नियामत' भी कहा जाता है जिसका मतलब है - अच्छा स्वास्थ्य हमेशा धन से ऊपर होता है। वाक्यांश हेल्थ ईज़ वेल्थ का गहरा अर्थ है और यह हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, और यह कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन में सफलता और खुशी का आधार है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत में खाने में प्रयोग होने वाली कई ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है या उपयोग को सीमित किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख वस्तुएँ इस प्रकार हैं: कुछ सिंथेटिक रंग। उच्च सोडियम वाले जंक फूड, कुछ कीटनाशक जैसे एल्ड्रिन, डीडीटी, एंडोसल्फान आदि, कुछ कृत्रिम स्वीटनर, तंबाकू और निकोटीन: किसी भी खाद्य पदार्थ में इनका उपयोग प्रतिबंधित, कुछ कृत्रिम स्वीटनर, सैसाफ्रास ऑयल, ब्रॉमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, दवाओं पर प्रतिबंध, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाएं, कुछ दर्द निवारक दवाएं, कुछ एंटी-एलर्जिक दवाएं जैसे ब्रोमेलैन, प्रोटीएज, कुछ सिंगल यूज्ड माइक्रो प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स आदि प्रतिबंधित हैं।

सिगरेट और तंबाकू से होने वाली कुल मौतों में यकृत कैंसर का विशिष्ट प्रतिशत बताना संभव नहीं है, यह स्पष्ट है कि तंबाकू का उपयोग यकृत कैंसर के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है और भारत में होने वाली लाखों तंबाकू-संबंधी मौतों में योगदान देता है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास और जागरूकता बढ़ाना इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उपलब्ध आंकड़ों और हालिया घटनाओं को देखते हुए, यह कहना सुरक्षित है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में कच्ची या जहरीली शराब के सेवन से हजारों लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़े केवल 2020 तक के हैं, और उसके बाद भी कई बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े संभवत: कम करके आंके गए हैं, क्योंकि कई मौतें रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। कच्ची शराब का अवैध उत्पादन और बिक्री एक गंभीर समस्या बनी हुई है, खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में। शराबबंदी के आर्थिक प्रभाव जटिल हो सकते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना, कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि शराबबंदी से राजस्व में कमी आ सकती है और अवैध शराब के व्यापार में वृद्धि हो सकती है, जबकि अन्य अध्ययनों में सकारात्मक सामाजिक और स्वास्थ्य परिणाम देखे गए हैं। हानिकारक उत्पादों से राजस्व कमाने के बजाय लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या सरकारें राजस्व के हितों को स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हैं? यह सच है कि जिन वस्तुओं से सरकार को या तो बिल्कुल राजस्व नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है, उन्हें बंद करने में अक्सर हिचकिचाहट नहीं दिखाई जाती। इसके विपरीत, शराब और सिगरेट जैसे उत्पाद, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन सरकार को महत्वपूर्ण राजस्व प्रदान करते हैं, आसानी से बंद नहीं किए जाते। इस स्थिति को देखकर यह तर्क देना स्वाभाविक है कि सरकार के लिए राजस्व प्राथमिकता है, न कि लोगों का स्वास्थ्य।

वित्तीय और नैतिक विचारों के बीच एक जटिल खींचतान है। सरकार का तर्क अक्सर यह होता है कि उस राजस्व का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा (हानिकारक उत्पादों से होने वाली बीमारियों के इलाज सहित), बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। उनका यह भी कहना हो सकता है कि पूर्ण प्रतिबंध से अवैध व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होगा और गुणवत्ता नियंत्रण भी नहीं रहेगा।

हालांकि, एक स्वस्थ आबादी किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। हानिकारक उत्पादों से होने वाली बीमारियों का बोझ न केवल व्यक्तियों और उनके परिवारों पर पड़ता है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भी भारी दबाव डालता है और देश की समग्र उत्पादकता को कम करता है।

सरकार हानिकारक उत्पादों से राजस्व अर्जित करके अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए धन जुटा रही है, जबकि इन उत्पादों का सेवन स्वयं ही स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है।

कई लोग यह मानते हैं कि सरकार को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक स्वस्थ आबादी अंतत: अधिक खुशहाल और अधिक उत्पादक होगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगा। राजस्व के अन्य स्थायी और स्वास्थ्यकर स्त्रोत खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

यह कहना सही होगा कि राजस्व एक महत्वपूर्ण कारक है जो सरकार के फैसलों को प्रभावित करता है। इन उत्पादों पर लगाए गए टैक्स सरकार के लिए आय का एक बड़ा स्त्रोत होते हैं, जिसका इस्तेमाल विभिन्न विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। अगर सरकार अचानक से इनका उत्पादन बंद कर दे, तो उसे एक बड़े राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिससे अन्य जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, यह कहना कि सरकार को सिर्फ राजस्व का ध्यान रहता है और स्वास्थ्य की परवाह नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं होगा। सरकारों ने इन उत्पादों के सेवन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं:–

उच्च कर: इन उत्पादों पर भारी टैक्स लगाया जाता है ताकि इनकी कीमत बढ़े और लोग इनका कम सेवन करें।

स्वास्थ्य चेतावनी: इनके पैकेटों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी छापी जाती है ताकि उपभोक्ताओं को खतरों के बारे में पता चले।

विज्ञापन पर प्रतिबंध: इनके विज्ञापन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि इनका प्रचार न हो।

जागरूकता अभियान: सरकार समय-समय पर इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाती है।

इन कदमों से यह पता चलता है कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित है, लेकिन वह एक साथ कई पहलुओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाती है। अचानक से उत्पादन बंद करने के कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि:–

अवैध व्यापार: अगर उत्पादन बंद हो जाए तो इन उत्पादों का काला बाजार पनप सकता है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होगा और गुणवत्ता नियंत्रण भी नहीं रहेगा।

1. रोजगार का नुकसान: इन उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोगों की रोजी-रोटी छिन सकती है!

यू.एस. ने निषेध के दौरान शराब पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की (1920-1933)। इसके कारण: अवैध उत्पादन और तस्करी, संगठित अपराध में वृद्धि, कर राजस्व में कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्य में इतना सुधार नहीं हुआ कि प्रतिबंध के कारण व्यापक समस्याएं उत्पन्न हो सकें। इसलिए, सरकार एक ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश करती है जिसमें राजस्व भी बना रहे और लोगों के स्वास्थ्य पर भी कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े। यह एक नाजुक संतुलन है जिस पर लगातार बहस और विचार-विमर्श होता रहता है।

यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समाज में लगातार बहस होनी चाहिए और सरकारों पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वे नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दें, भले ही इसके लिए कुछ राजस्व का नुकसान उठाना पड़े। इस स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व प्राथमिक है, और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

वास्तविकता यह है कि राजस्व और स्वास्थ्य दोनों ही सरकारों के लिए आवश्यक हैं और इन्हें एक दूसरे के विपरीत नहीं देखा जाना चाहिए। एक आदर्श स्थिति वह है जहां सरकारें एक ऐसा संतुलन बनाती हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करे।

भारत के संदर्भ में:–

भारत में, स्वास्थ्य सेवा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें सरकारें लगातार निवेश कर रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। साथ ही, सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठा रही है ताकि इन और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन उपलब्ध हो सके।

यह कहना मुश्किल है कि भारतीय सरकारों के लिए वर्तमान में राजस्व स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण है या इसके विपरीत। सरकार की नीतियां और बजट आवंटन दोनों क्षेत्रों को महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि, समय-समय पर प्राथमिकताओं में बदलाव हो सकता है जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं।

अंतत:, एक जिम्मेदार सरकार का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह राजस्व और स्वास्थ्य के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाए रखे ताकि देश का सतत विकास हो सके और सभी नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित हो सके।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ लोगों को दे रही है ड्रोन की ट्रेनिंग

ग्रामीणों को ड्रोन के बारे में जानकारी देने के साथ ही एक ड्रोन को उड़ाकर भी बताया

बीकानेर, (निसं)। पाकिस्तान की ओर से बार-बार ड्रोन अटैक होने के बाद बॉर्डर के गांवों में लोगों को ड्रोन के बारे में जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह की आवाज आती है और इस ड्रोन से किस तरह की हरकत हो सकती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने बीकानेर बॉर्डर से सटे गांवों में ड्रोन एक्टिविटी के प्रति जागरूक किया।

बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट (इंटेलिजेंस) महेश चंद्र जाट ने बताया कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिससे घबराकर पाकिस्तान बॉर्डर के गांवों में लगातार ड्रोन एक्टिविटी बढ़ा रहा हैं। बीकानेर ने गांवों ड्रोन के बारे में ग्रामीणों को सामान्य ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह इसका पता चल सकता है। अगर कोई ड्रोन उनके क्षेत्र में घूम रहा है तो ग्रामीणों को क्या एक्शन लेना है।

डिप्टी कमांडेंट (इंटेलिजेंस) ने बताया कि आने वाले समय में हमारे पड़ोसी देश से ड्रोन की गतिविधियां और भी अधिक बढ़ सकती है। इससे निपटने के लिए हर समय तैयार रहना पड़ेगा। आम आदमी को पता होना चाहिए कि ड्रोन कैसे काम करता है और इससे दुश्मन देश को क्या फायदा मिल सकता है। युद्ध जैसे हालात के दौरान यदि आपको कहीं कोई संदिग्ध वस्तु ड्रोन जैसी दिखाई देती है तो तुरंत ही इसकी सूचना बीएसएफ इंटेलिजेंस को देनी है। ड्रोन के माध्यम से सिर्फ हमले नहीं होते बल्कि देश की सूचना भी एकत्र की जाती है। काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले ये ड्रोन कई बार वीडियो और फोटोग्राफी करते हैं। इसलिए ड्रोन का पता चलते ही बीएसएफ को बताना होगा। ड्रोन के माध्यम से बीकानेर, श्रीगंगानगर क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी भी होती है। दोनों देशों के तस्कर एक दूसरे से बात करके ड्रोन के माध्यम से अफीम, स्मैक और अन्य मादक पदार्थ ड्रोन से ही फेंकते हैं।

ग्रामीणों को ड्रोन के बारे में जानकारी देने के साथ ही एक ड्रोन को उड़ाकर भी बताया गया। ड्रोन किस तरह से आवाज करता है और ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन का पता कैसे चल सकता है। ग्रामीणों के साथ सरपंच विजय सिंगड़ भी उपस्थित रहे।

बंद किए गए नाल एयरपोर्ट के सभी रूट फिर से खुले

बीकानेर, (निसं)। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद बंद किए गए नाल एयरपोर्ट के सभी रूट अब खोल दिए गए हैं। चार्टर्ड और मेडिकल इमरजेंसी फ्लाइट्स को अनुमति मिल गई है। दिल्ली रूट पर 15 मई से उड़ान बहाल होने की संभावना है, जबकि जयपुर रूट के लिए यात्रियों को शुक्रवार तक इंतजार करना पड़ सकता है। देश की सुरक्षा स्थितियों को देखते हुए कुछ दिन पहले बंद किए गए बीकानेर के नाल एयरपोर्ट के सभी रूट बंद कर दिए थे।

एयरपोर्ट प्रशासन ने सामरिक दृष्टि से उठाए गए एहतियाती कदमों के बाद अब परिस्थितियों को सामान्य मानते हुए अब सभी रूट खोलने का निर्णय लिया है। एयरपोर्ट निदेशक राजेन्द्र सिंह बघेला ने बताया कि नाल एयरपोर्ट से अब चार्टर्ड प्लेन और मेडिकल इमरजेंसी के लिए एयर एंबुलेंस की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। हालांकि, नियमित फ्लाइट संचालन की तिथि अभी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है।

- **दिल्ली की फ्लाइट आज से संभव, जयपुर रूट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है**

बीकानेर से दो फ्लाइटस संचालित होती हैं। पहली इंडिगो की बीकानेर से दिल्ली डेली फ्लाइट, जो 15 मई से उड़ान भर सकती है। दूसरी, एयरलाइंस एयर की फ्लाइट है, जो बीकानेर से जयपुर होते हुए दिल्ली जाती है और सप्ताह में सोमवार व शुक्रवार को संचालित होती है। यह फ्लाइट शुक्रवार से शुरू हो सकती है।

हालांकि, एयरपोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उड़ानों की पुनर्बहाली यात्री भार और अन्य तकनीकी पहलुओं पर निर्भर करेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे उड़ान से पहले संबंधित एयरलाइंस से जानकारी प्राप्त कर लें। सामरिक दृष्टिकोण से नाल एयरपोर्ट एक संवेदनशील जोन में आता है। इसलिए किसी भी आपात स्थिति में तत्परता बनाए रखने और नागरिक उड्डयन को संतुलित रूप से संचालित करने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। अब रूट खुलने से न केवल स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि आपातकालीन सेवाएं भी बहाल हो सकेंगी।

राशिफल गुरूवार 15 मई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र दिन 2:08 तक, शिव योग प्रात: 7:02 तक, वणिज करण दिन 3:17 तक, चन्द्रमा आज दिन 2:08 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज चतुर्थी व्रत है। चन्द्रोदय जयपुर में रात्रि 10:41 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:23 तक, चर 10:43 से 12:23 तक, लाभ अमृत 12:23 से 3:43 तक, शुभ 5:23 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:43, सूर्यास्त 7:03

मेष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मिथुन
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। मन का भय समाप्त होगा। दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स